प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला **भ्र0नि0 ब्यूरो, जयपुर** थाना–**प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यूरो, जयपुर, वर्ष 2022**
प्र0सू0रि0 सं. ....412........ **/2022 दिनांक**..........18/10/2022..........

2. (I) अधिनियम – **भ्र0नि0 अधिनियम 1988 एवं धारायें– 13(1)(डी), 13(2) एवं 420, 120बी भादस.**
   (II) अधिनियम – धारायें –
   (III) अधिनियम .... धारायें ....
   (IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....322....समय.........6:00 PM
   (ब) अपराध घटने का दिन – दिनांक – **वर्ष 2013**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – समय –

4. सूचना की किस्मः– लिखित/मौखिक **लिखित**

5. घटनास्थलः– केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–
   (ब) पता –**केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।**
   (स) बीट संख्या ....जयरामदेही सं................
   (द) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम –जरिये राज्य सरकार श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस
   (ब) पिता/पति का नाम –
   (स) जन्म तिथी/वर्ष –
   (द) राष्ट्रीयता ....भारतीय..
   (य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ......
   जारी होने की जगह ....
   (र) व्यवसाय –
   (ल) पता–स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहितः –

1. श्री योगेश पाठक, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह कुडकी तत्कालीन अध्यक्ष, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
3. श्री करण सिंह मेडतियां तत्कालीन उपाध्यक्ष, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
4. श्री गणपत सिंह उतवण तत्कालीन संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
5. श्री पुष्पेन्द्र सिंह आउवा तत्कालीन संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
6. श्री भगवत सिंह तत्कालीन संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
7. श्रीमती पुष्पा देवी, तत्कालीन संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
8. श्री वक्ताराम, तत्कालीन संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
9. श्री जब्बर सिंह सौंलकी, तत्कालीन संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
10. श्री भंवर सिह खोखरा, तत्कालीन संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
11. श्री भबूताराम, तत्कालीन संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
12. श्री श्याम सिंह राठौड, तत्कालीन प्रोफेशनल संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
13. श्री भंवर सिंह राठौड, तत्कालीन प्रोफेशनल संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
14. श्री चावण्ड दान बारहठ, तत्कालीन प्रो0 संचालक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
15. श्री जब्बर सिंह राठौड तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन (अध्यक्ष क्रय कमेटी), पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
16. श्री रामचन्द्र दायमा, तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक अग्रिम (सदस्य क्रय कमेटी), पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।

17. श्री रामचन्द्र गहलोत तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक बैंकिंग (सदस्य कय कमेटी) पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
18. श्री हरिवल्लभ शर्मा तत्कालीन प्रबंधक स्टोर (सदस्य कय कमेटी) पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
19. श्री दिनेश कुमार जैन, तत्कालीन प्रबंधक बैंकिगं (सदस्य कय कमेटी) पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
20. श्री देवी सिंह राठौड तत्कालीन प्रबधक निरीक्षण (सदस्य कय कमेटी), पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली।
21. श्री धर्मपाल गढवाल (आपूर्तिकर्ता) तत्कालीन निदेशक फर्म मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन जयपुर रोंड सीकर।
22. श्री सत्यपाल गढवाल (आपूर्तिकर्ता) निदेशक फर्म मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन जयपुर रोंड सीकर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य –69,82,500/रू.
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री विधाधर गोदारा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) कार्यालय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान, जयपुर ने दिनांक 16.10.2011 को एक टाईप शुदा परिवाद श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को प्रेषित करने पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परीक्षणोपरान्त उक्त रिपोर्ट में सम्बन्धित आरोपितों के विरूद्व प्राथमिक जांच सं0 पी.1–2, 06/2016 दिनांक 09.02.2016 पंजीबद्व की जाकर जांच की गई जांच से पाया गया कि:–

केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 पाली की 15 शाखाओं में मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर रोड सीकर के द्वारा आपूर्ति किये गये 5 किलोवाट सोलर सिस्टम के कय एवं आपूर्ति में केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली के पदाधिकारियों द्वारा पद का दुरूपयोग कर की गई अनियमितता एवं फर्म के साथ मिलकर राजकोष को हानि पहुचाने के आरोप है।

पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 20.07.2013 के कार्यवाही विवरण विषय संख्या 13(5) बैंक की शाखाओ में सोलर सिस्टम के कय पर विचार के संबंध में किये गये निर्णय पर बैठक में विचार–विमर्श किया गया। उक्त बैठक में श्री योगेश पाठक प्रबंध निदेशक ने बताया कि वेदान्ता पावर सोल्यूशन सीकर रोंड जयपुर ने जरिये पत्र अवगत करवाया है कि वह बैंक की शाखाओं में सोलर पॉवर प्रोजेक्ट जो एक किलोवाट से 100 किलोवाट तक के सिस्टम सप्लाई करने का कार्य करता है। बैंक की शाखाओं में सोलर सिस्टम लगाने से बैंक का विधुत व्यय कम होगा। उक्त सोलर सिस्टम लगवाने से 30 प्रतिशत अनुदान राशी की छूट है। तथा बैंक को आयकर में छूट है। उक्त सोलर सिस्टम की 25 वर्षो की गारंटी है। उक्त सोलर सिस्टम लगवाने पर बैंक को प्रथम तीन वर्ष में ही सोलर सिस्टम की राशि वसूल हो जायेगी। उक्त बैठक में विचार–विमर्श करने पर सर्वप्रथम पाली शहर की पांच शाखाओं (सूरजपोल, लक्ष्मी मार्केट, स्टेशन रोड, मण्डिया रोड एवं कालेज रोड) एवं जैतारण, आ0कालू, सोजत सिटी, सोजत रोड, सुमेरपुर, रायपुर, बाबरा, बाली, रानी, देसूरी, कुल 15 शाखाओ में 5 किलोवाट सोलर सिस्टम मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन सीकर रोड जयपुर से लगवाने का बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाकर तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक व तत्कालीन अध्यक्ष व कमेटी के सदस्यों ने हस्ताक्षर किये गये थे।

उक्त बैंक की सभी शाखाओ में सोलर सिस्टर लगाने के निर्णय के उपरान्त मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूसन सीकर रोड जयपुर ने बैंक प्रबन्ध निदेशक को जरिये पत्र अवगत करवाया कि मैसर्स तपन सोलर एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली राजस्थान में सोलर सिस्टम सप्लाई के अधिकृत प्रतिनिधि है।

उक्त मैसर्स तपन एजेन्सी प्रा.लि. Ministry of new and renewable energy (SPV Divisonal) के द्वारा अधिकृत चेनल पार्टनर है। भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय उर्जा मंत्रालय के कम संख्या 163 पर सूचीबद्ध है।

प्रबंध निदेशक पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिनांक 11.07.2013 को ईमेल द्वारा मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन के निदेशक सत्यापाल गढवाल द्वारा सूचित किया की सोलर सिस्टम की प्रत्येक ईकाई की बिना बैट्री की कीमत 7,00,000 लाख रूपये होगी। उस पर 30 प्रतिशत अनुदान राशि कम करने पर 4 लाख नब्बे हजार रूपये होगी। उक्त पत्र के साथ में भारत सरकार के नवीन और नवीकरण उर्जा मंत्रालय के द्वारा उक्त सिस्टम के अधिकतम मुल्य के संबंध में जारी किये गये परिपत्र दिनांक 22 नवम्बर 2012 की छाया प्रति संलग्न की गयी। उक्त परिपत्र में बिना बैटरी के पांच किलोवाट तक के सोलर सिस्टम में Revied benchmark cost यानि अधिकतम मुल्य रू. 160/–प्रति वाट रखी गयी थी। जैसाकि सर्वविदित है कि एक किलोवाट मे एक हजार वाट होते है। यहा यह तथ्य अतिमहत्वपूर्ण एवं विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि बैंक के द्वारा फर्म को क्रय आदेश दिनांक 27.07.2013 को जारी किया गया था जबकि फर्म के द्वारा benchmark cost यानि अधिकतम मुल्य संबधि परिपत्र पूरानी दिनांक 22.11.2012 का संलग्न किया गया था यह परिपत्र मार्च 2013 तक ही प्रभावशील था। अगले वित्तवर्ष 2013–14 के लिए मत्रांलय के द्वारा दिनांक 30.05.2013 को नया परिपत्र जारी करके बिना बैट्री के 100 किलोवाट तक के सोलर पॉवर प्लाट के लिए गत वर्ष की benchmark cost को और भी कम करके रूपये 100/– प्रतिवाट कर दिया गया था। मैसर्स वेदान्त पॉवर सोल्यूंसस के द्वारा बैंक को प्रस्तुत किये गये अपने प्रस्ताव दिनांक 11.07.2014 में प्रति ईकाई मुल्य 700000/रूपये बताया गया था जबकि मंत्रालय के द्वारा जारी किये गये उपरोक्त परिपत्र दिनांक 30.05.2013 के द्वारा प्रतिईकाई benchmark cost यानि अधिकतम मुल्य 100X1000X5 की गणना अनुसार रू. 500000/ रूपये ही अधिकतम निर्धारित किया गया था जिसका अर्थ यह हुआ कि मैसर्स वेदान्त पॉवर सोल्यूशन्स के द्वारा बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के साथ षडयन्त्र करके धोखाधडी पूर्वक प्रति ईकाई मुल्य 5 लाख के बजाय 7 लाख बताकर प्रति ईकाई 2 लाख रूपयो के हिसाब से 15 ईकाईयो के 30 लाख रूपये अधिक वसूल किये जाकर बैंक को 30 लाख रूपये की हानि केवल इस मद में कारित की गई है।

मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूसन सीकर रोड जयपुर को प्रबध निदेशक ने पत्र क्रमांक 17674 दिनांक 27.07.2013 को जारी कर उक्त 15 बैंक की शाखाओं में पांच किलोवाट सोलर सिस्टम 250 WP SPV Model IEC certified MONO/Toly cerystaline modul mainataining structure, power conditioniong unit, earthing kit, wire, cable, conductor all essential assesaries सामग्री की आपूर्ति के शर्तो के बारे मे बताया था कि (1) माल की आपूर्ति 45 दिन में देनी होगी, (2) सभी प्रकार के कर सहित दर जो कोटेशन में उल्लेखित है भुगतान की जावेगी, कोई कर अतिरिक्त नही होगा।, (3) सोलर सिस्टम स्थापित करने चालू करने के समस्त व्यय सम्मलित होगे।, (4) सोलर सिस्टम चार वर्ष तक कम्पनी के खर्च पर सुधारे जायेगे तथा उसके पश्चात बैंक खर्च से ए.एम.सी.के अनुसार सुधारे जायेगे।, (5) माल का 80 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जायेगा तथा 20 प्रतिशत माल की सुपुर्दगी पर होगा।, (6) माल की संलग्न सूची अनुसार शाखाओ में गन्तव्य पर सुपुर्दगी देनी होगी।, (7) माल की उतराई चढायी बैंक की देय नही होगी।

मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन से सोलर सिस्टम खरीद करने हेतु क्रय कमेटी के सदस्यो के हस्ताक्षर होकर दिनांक 20.07.2013 की पालना में आदेश दिया गया, जिस पर श्री योगेश पाठक, प्रबंध निदेशक ने हस्ताक्षर किये गये। उक्त पत्रावली पर श्री योगेश पाठक, प्रबंध निदेशक, श्री पुष्पेन्द्र सिंह कुडकी, अध्यक्ष केंद्रीय सहकारी बैंक, पाली के द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन के निदेशक श्री सत्यपाल गढवाल द्वारा प्रबध निदेशक को दिनांक 27.07.2013 को पत्र जारी कर बताया कि आपके आदेश क्रमांक 17764 दिनांक 27.07.2013 के अनुसार बैंक के 15 शाखाओ में 5 किलोवाट सोलर सिस्टम को दर 7,00000 लाख रूपये में से 30 प्रतिशत अनुदान राशि घटाने के बाद 4,90,000/ रूपये का 80 प्रतिशत 392000/ रूपये से 15 प्रतिशत 58.80 लाख रूपये का ड्राफ्ट उक्त फर्म के पक्ष में जारी करने तथा शेष 15 प्रतिशत राशि 11.02 लाख रूपये माल की सुपुर्दगी देने तथा 5 प्रतिशत 3.67 लाख रूपये की बैंक के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी जो 10 वर्ष बाद बिना ब्याज देय होगी, पत्र जारी किया था। इस पत्र के परिपेक्ष मे प्रबंध निदेशक ने भी वरिष्ठ प्रबंधक बैंकिग

प्रधान कार्यालय पाली को पत्र कमांक 17701 दिनांक 27.07.2013 जारी कर मैसर्स वेदान्ता पावर सॉल्यूशन के पक्ष में कार्यादेश जारी करने का आदेश दिया गया था।

श्री योगेश पाठक, तत्कालीन प्रबंध निदेशक के द्वारा 29.07.2013 को मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूसन जयपुर रोड सीकर को डीडी संख्या 0776037 राशि 5,80,000/ रूपये भिजवायी गई। इसके पश्चात 45 दिन में माल की आपूर्ति की जाकर बैंक शाखाओं में सोलर सिस्टम इंस्टाल किये जाने थे एवं इसके पश्चात ही शेष 15 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाना था, किंतु बैंक प्रबंधन एवं संचालक मण्डल द्वारा मै. वेदांता पावर सोल्यूशन, सीकर रोड जयपुर से मिलीभगत कर षडयंत्र रचते हुऐ सोलर सिस्टम इंस्टालेशन से पूर्व ही दिनांक 25.09.13 को 15 प्रतिशत राशि 11.02 लाख का भुगतान जरिये डीडी 077007 के फर्म को कर दिया गया। फर्म द्वारा 95 प्रतिशत भुगतान के पश्चात भी मार्च 2014 तक बैंक की शाखाओं में सोलर सिस्टम इंस्टालेशन नही कराया गया था।

बैंक प्रबंधन/संचालक मण्डल/प्रोफेशनल संचालक/कय कमेटी के सदस्यो द्वारा मै. वेदांता पावर सोल्यूशन, सीकर से षडयंत्र करके, सोलर सिस्टम इंस्टालेशन हेतु फर्म को कार्यादेश दिये जाने में निम्न राजकीय खरीद नियमों व खरीद सम्बंधी विभागीय आदेश/निर्देशो व प्रकिया की अवहेलना की गई, जिससे पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली को 69,82,500/की हानि पहुचाई गई:-

1. तत्कालीन बैंक प्रशासन/संचालक मण्डल व कय कमेटी द्वारा सोलर सप्लायर कम्पनीयो से सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के अनुसार उपापन के इच्छुक संस्थाओ से प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त करनी चाहिय थी, जो उनके द्वारा नही की गई। निविदा के बिना सोलर सिस्टम कय नही किया जा सकता था। 50 लाख या उससे अधिक की खरीद पर निविदा का प्रकाशन ऐसे अखबार में करवाना आवश्यक है, जिसकी 50,000 प्रतियों से ज्यादा प्रकाशन होता है।
2. तत्कालीन बैंक प्रशासन/संचालक मण्डल कय कमेटी द्वारा सोलर सिस्टम खरीद के आदेश जारी करने से पूर्व सोलर सिस्टम की गुणवत्ता व बाजार में सर्वे एवं अध्ययन करना चहिये था व बाजार में सोलर सिस्टम की कम्पनीयो की प्रोडक्ट गुणवता की जांच करनी चहिये थी व प्रोडक्ट खरीद करने से पूर्व सोलर सिस्टम के विशेषज्ञो से राय प्राप्त करनी चाहिये थी जो उन्होने विशेषज्ञो से जानकारी नही ली।
3. तत्कालीन बैंक प्रशासन/संचालक मण्डल की कय कमेटी द्वारा नियमानुसार GF&AR/RTPP Act की पालना नही की गई।
4. तत्कालीन बैंक प्रशासन/संचालक मण्डल की कमेटी द्वारा दिनांक 27.07.2013 को मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड सीकर रोड जयपुर को कय का आदेश दिया जिसमें शर्त संख्या 4 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "उक्त उत्पाद चार वर्ष तक कम्पनी के खर्च पर सुधारे जायेगें" बावजूद इस शर्त के फर्म मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन्स जयपुर रोंड सीकर के साथ सोलर क्वालिटी हेतु After sale service हेतु किसी भी प्रकार का अनुबंध नही किया गया। इस कारण सप्लायर फर्म द्वारा घटिया क्वालिटी के सोलर सिस्टम बैंक को सप्लाई किये गये जो लगाने के कुछ महिनो बाद ही खराब हो गये एवं बार-बार पत्र लिखने के बावजूत भी फर्म द्वारा बैंको में लगे सोलर सिस्टम को सुधारे नही गये।
5. बैंक द्वारा दिनांक 27.07.2013 को मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड को कय आदेश जिसमे शर्त संख्या 1 में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि फर्म को 45 दिनो के भीतर-भीतर सोलर सिस्टम स्थापित करने होगे अर्थात फर्म को दिनांक 15.09.2013 से पूर्व सोलर सिस्टम स्थापित करने आवश्यक थे जबकि इस समय सीमा तक सोलर सिस्टम स्थापित नही किये गये थें।
6. मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड ने दिनांक 11.07.2013 व 19.07.2013 को दिये गये प्रपोजल पत्र में बताया कि वह तपन सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली का चैनल पार्टनर है जबकि तपन सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण उर्जा मंत्रालय द्वारा जारी सूची के कम संख्या 163 पर सूचीबद्ध बतायी गई है। पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली ने भी कभी तपन सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली के साथ कभी कोई पत्राचार या सोलर प्लाट लगाने के लिए सम्पर्क नही किया गया। तत्कालीन बैंक प्रशासन/संचालक मण्डल की कय कमेटी ने भी यह पता लगाने के प्रयास नही किये गये कि मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन लिमिटेड तपन सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली की चैनल पार्टनर फर्म है या नही।
7. तपन सोलर एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड दिल्ली भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरण उर्जा मंत्रालय द्वारा जारी सूची के कम संख्या 163 पर सूचीबद्ध बताई गयी थी। बैंक प्रशासन को प्रतिस्पर्धात्मक दरे प्राप्त

करने हेतु उक्त सूची में दर्शायी गई 162 फर्मा से दरों के बारे में जानकारी लेनी चाहिये थी, उक्त फर्मो के ईमेल, मोबाईल नम्बर इत्यादि सूची में मौजूद थे।

8. मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड को भुगतान किये जाने से पूर्व बैंक प्रशासन/संचालक मण्डल कय कमेटी द्वारा उक्त सोलर सिस्टम की किसी ईन्जीनियर से क्वालिटी जांच नही करवायी गई।
9. मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड जयपुर रोंड सीकर को लगभग 95 प्रतिशत का भुगतान सोलर सिस्टम लगाने से पूर्व ही जुलाई 13 से सितम्बर 13 के बीच कर दिया गया साथ ही विभागीय नियमों/आदेशो/परिपत्रों के साथ GF&AR/RTPP Act का भी उल्लंघन किया गया है।
10 सोलर सिस्टम की खरीद हेतु आवश्यकता का निर्धारण नही किया गया, न ही विशिष्ठीकरण एवं वर्गीकरण का पूर्ण तकनीकी अध्ययन करवाया गया। बैंक द्वारा क्वालिटी चैक व स्पेशीफिकेशन के सम्बंध में सोलर सिस्टम इंस्टालेशन के पश्चात भी तकनीकी टीम से निरीक्षण नही कराया गया था।
11 कय आदेश में फर्म को सप्लाई एवं अन्य शर्ते दी गई है वह कही भी बैंक के हित की नही है, फर्म के पत्र में अंकित फर्म के हित की शर्तो को ही कयादेश में दोहराया गया है, एवं उन शर्तो को भी फर्म के हित में, फर्म को लाभ पहुचाने के लिए उन शर्तो की पालना नही होने पर भी, बैंक द्धारा फर्म को नियम विरूद्ध राशि का भुगतान कर दिया गया है।
12. दिनांक 20.07.13 को पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली की संचालक मण्डल की मीटिंग के एजेण्डा में सोलर सिस्टम कय करने/खरीद पर विचार करने का विषय एजेण्डे में शामिल ही नही था।
13. दिनांक 20.07.13 की मीटिंग में श्री योगेश कुमार पाठक, प्रबंध निदेशक, श्री पुष्पेन्द्रसिंह कुडकी, अध्यक्ष, श्री करणसिंह मेडतिया, श्री गणपतसिंह उतवण, श्री भंवरसिंह खोखरा श्री भगवतसिंह, श्रीमती पुष्पादेवी, श्री पुष्पेन्द्रसिंह आउवा श्री जबर सिंह, श्री वक्ताराम मीणा, श्री भभूताराम, (संचालक सदस्य, पाली केंद्रीय सहकारी बैंक लि. पाली) श्री श्याम सिंह राठौड, श्री भवरसिंह राठौड श्री चावण्डदान बारहठ, (प्रोफेशनल सचांलक, पाली केंद्रीय सहकारी बैंक लि. पाली) आदि मौजूद थे, अध्यक्ष द्वारा रखे गये विषय सोलर सिस्टम की खरीद पर सभी ने सर्वसम्मति से लिखित एवं मौखिक सहमति दी। किसी ने भी सोलर सिस्टम के गुण–दोष/सही कीमत/तकनीकी विशेषज्ञ/टेण्डर आमंत्रित करने के सम्बंध में कोई राय/टिप्पणी नही दी थी। उक्त सोलर सिस्टम खरीद हेतु दिनांक 27.06.13 को प्रबंध निदेशक पाली केंद्रीय सहकारी बैंक लि. पाली ने एक कय समिति गठित की जिसके सदस्य श्री जबरसिंह राठौड़ वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन (अध्यक्ष कय कमेटी) श्री रामचन्द्र दायमा, श्री रामचन्द गहलोत, श्री हरिवल्लभ शर्मा, श्री दिनेश कुमार जैन, श्री देवी सिंह राठौड़ (सदस्य कय कमेटी) थे।
14. सोलर कय किये जाने के दौरान सहकारी विभाग के परिपत्र कमांक फा. 44 (28) सविरा/ बैंक–2/09 दिनांक 11.8.2009 पालना नही की गई। बैंक प्रशासन द्वारा उक्त सोलर सिस्टम हेतु कय आदेश जारी करने से पूर्व परिपत्र के निर्देशानुसार यह सुनिश्चित नहीं किया गया कि उनकी खरीद के लिए बैंक के वार्षिक बजट में प्रावधान हैं अथवा नही है।
15. संचालक मंण्डल एंवं प्रबंध निदेशक द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर 1 करोड़ रूपये से ज्यादा की खरीद का निर्णय लिया (मय सोलर फाउन्डेशन) जबकि इतनी बडी खरीद से पूर्व प्रधान कार्यालय से अनुमति हेतु प्रस्ताव बनाकर भेजकर अनुमति लेनी चाहिये थी जो नहीं ली गई थी।

इससे यह प्रदर्शित होता है कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली के तत्कालीन बैंक प्रशासन/संचालक मण्डल/प्रोफेशनल सचांलक/कय कमेटी द्वारा अविवेकपूर्ण निर्णय लिया जाकर आपसी षडयंत्र कर फर्म को षडयंत्र पूर्वक पूर्वनियोजित योजना के तहत फर्म को कार्यादेश प्रदान कर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली को अनुचित हानि एवं प्राईवेट फर्म को अनुचित लाभ पहुचाया गया। मैसर्स वेदान्ता पावर सॉल्यूशन द्वारा बैंक की 15 शखाओं में सोलर सिस्टम के लगने व सही तरिके से कार्य करने का प्रमाण पत्र हाथों–हाथ प्राप्त कर लिये थे। मैसर्स वेदान्ता पावर सॉल्यूशन द्वारा सोलर सिस्टम के नाम पर फर्जी तरीके से सोलर सिस्टम लगाया गया है उक्त सिस्टम की गुणवत्ता बहुत घटिया सिस्टम लगाकर पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली की शाखाओं को आर्थिक हानि पहुचाई गई है। पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड पाली की 15 शाखाओं में सोलर सिस्टम के कय किये जाने में धोखाधडी की गई। बैंक को इतने रूपये खर्च करने के उपरान्त भी कोई हित नही सधा था, सीधे–सीधे बैक को 69,82,500/रूपये की हानि हुई।

इस प्रकार जांच से पाया गया कि पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, तत्कालीन अध्यक्ष, तत्कालीन उपाध्यक्ष, तत्कालीन संचालक मण्डल के सदस्यो एवं क्रय कमेटी के अध्यक्ष व क्रय कमेटी के सदस्यो द्वारा अपने–अपने पद का दुरूपयोग करते हुये, आपूर्तिकर्ता फर्म मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन जयपुर रोड सीकर के तत्कालीन निदेशक श्री धर्मपाल गढवाल एवं श्री सत्यपाल गढवाल के साथ आपराधिक मिलिभगत करते हुये एवं नियमों को तोड़ मरोड़ कर नियमो की गलत व्याख्या कर, धोखाधडी पूर्वक फर्म को अनुचित आर्थिक लाभ तथा पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को 69,82,500/–रूपये की अनुचित आर्थिक हानि पहुँचायी जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः 1. श्री योगेश पाठक, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, 2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह कुडकी, तत्कालीन अध्यक्ष, 3. श्री करण सिंह मेडतियां, तत्कालीन उपाध्यक्ष, 4. श्री गणपत सिंह उतवण, तत्कालीन संचालक, 5. श्री पुष्पेन्द्रसिंह आउवा, तत्कालीन संचालक, 6. श्री भगवतसिंह, तत्कालीन संचालक, 7. श्रीमती पुष्पा देवी, तत्कालीन संचालक, 8. श्री वक्ताराम, तत्कालीन संचालक, 9. श्री जब्बरसिंह सौंलकी, तत्कालीन संचालक, 10. श्री भंवर सिह खोखरा, तत्कालीन संचालक, 11. श्री भबूताराम, तत्कालीन संचालक, 12. श्री श्याम सिंह राठौड, तत्कालीन प्रोफेशनल संचालक, 13. श्री भंवरसिंह राठौड, तत्कालीन प्रोफेशनल संचालक, 14. श्री चावण्डदान बारहठ, तत्कालीन प्रोफेशनल संचालक, 15. श्री जब्बर सिंह राठौड तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक प्रशासन (अध्यक्ष क्रय कमेटी) 16. श्री रामचन्द्र दायमा, तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक अग्रिम (सदस्य क्रय कमेटी) 17. श्री रामचन्द्र गहलोत तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक बैंकिंग (सदस्य क्रय कमेटी) 18. श्री हरिवल्लभ शर्मा, तत्कालीन प्रबंधक स्टोर (सदस्य क्रय कमेटी) 19. श्री दिनेश कुमार जैन, तत्कालीन प्रबंधक बैंकिगं (सदस्य क्रय कमेटी) 20. श्री देवी सिंह राठौड तत्कालीन प्रबधक निरीक्षण (सदस्य क्रय कमेटी), पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली ने फर्म मैसर्स वेदान्ता पॉवर सोल्यूशन के तत्कालीन निदेशक 21. श्री धर्मपाल गढवाल 22. श्री सत्यपाल गढवाल के साथ मिलीभगत कर फर्म को अनुचित आर्थिक लाभ तथा पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड को अनुचित आर्थिक हानि पहुँचायी एवं नियमों को तोड़ मरोड़ कर नियमो की गलत व्याख्या कर बैंक को 69,82,500/–की रू. हानि पहुँचाई जाने पर उक्त आरोपीगणो के विरूद्व अपराध अन्तर्गत धारा 13(1) (डी), 13 (2) पीसी एक्ट 1988 एवं 420, 120बी भा.द.स. में अपराध पंजीबद्व किये जाने हेतु बिना प्रथम सूचना रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

(चित्रगुप्त महावर)
उप अधीक्षक पुलिस
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी),13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 420, 120बी भादंसं में आरोपी 1. श्री योगेश पाठक, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, पाली एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम व द्वितीय पृष्ठ के क्रम संख्या 7 पर अंकित अभियुक्तों के क्रम संख्या 2 लगायत 22 के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 412/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।

18.10.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3581-89 दिनांक 18.10.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, खण्ड जोधपुर।
6. बैंक संचालक मंडल/प्रशासक, दी पाली सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. पाली।
7. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।
9. अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(पी.ई.06/16)।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।